

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ३०प्र० शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: ११ जनवरी, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अध्याय-5 के अन्तर्गत इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण विषयक।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1198/ 78-1-2020-05आई0टी0/2020, दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020’ अधिसूचित की गई है। ३०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से ५(पांच) वर्षों के लिए वैध है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित है।
2- ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020’ के अध्याय-5 के अन्तर्गत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये हैं। निवेशकों को इन प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया निम्नवत् हैः-

3- नियम व शर्तें

- 3.1 ३०प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (एतद्द्वारा जिसे ‘नीति’ कहा गया है) के अन्तर्गत एक नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में किया गया है तथा इसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। नीति कार्यान्वयन इकाई उन परियोजनाओं पर अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है जिनमें निवेश रु0 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य है। प्रोत्साहनों की स्वीकृति, नीति में उल्लिखित मर्दों और वितीय सीमाओं तक सीमित रहेगी। नोडल संस्था द्वारा प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार नीति कार्यान्वयन इकाई की बैठक आहूत कराई जायेगी।
- 3.2 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है, तथा इसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। सशक्त समिति रु0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति के लिए प्राधिकृत है। फैब इकाइयों हेतु सशक्त समिति एवं मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन

- से विशेष पैकेज जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूँजी सहभागिता, वितीय प्रोत्साहन एवं गैर वितीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित है, की अनुमन्यता होगी।
- 3.3 मा. मंत्रिपरिषद् द्वारा सशक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर ₹0 200 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं के मामलों में (इकाई को अनुमन्य होने वाले) हितलाभ पर विचार किया जायेगा एवं अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- 3.4 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन केवल नई परियोजनाओं/इकाइयों के लिए लागू हैं।
- 3.5 विद्यमान इकाइयों की विस्तारीकरण/विविधीकरण की परियोजनायें/ इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं।
- 3.6 निवेश प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना, नीति के अध्याय-6 के अन्तर्गत अनुलग्नक-1 में प्रदर्शित उत्पादों के विनिर्माण के लिए होगी।
- 3.7 निवेश प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना को एक अथवा अधिक चरणों में कार्यान्वित किया जा सकता है। निवेश के अन्तर्गत इकाई के सभी चरणों का निवेश नीति की वैधता अवधि में पूर्ण होना आवश्यक है।
- 3.8 पावती-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि के पश्चात किया गया निवेश ही प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु स्वीकार्य होगा।
- 3.9 इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वितीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक् और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले वितीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना के अन्तर्गत लाभ को, स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।
4. निवेशक द्वारा नोडल संस्था को प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण
- 4.1 प्रोत्साहनों के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-1) में नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 4.2 नोडल संस्था द्वारा नामित मूल्यांकन एजेन्सी द्वारा निवेशक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 4.3 मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग की जायेगी तथा पावती-पत्र भेजने से पहले अभिलेखों के उपयुक्त होने की प्राथमिक जांच की जायेगी।

- 4.4 नोडल संस्था द्वारा आवश्यक होने पर उत्पाद, प्रस्तावित प्रौद्योगिकी, वित्तीय व्यवस्था इत्यादि से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख मांगे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा समयबद्ध रूप से, यथासम्भव 7 दिनों के अन्दर सूचनायें प्रदान की जायेंगी।
- 4.5 प्रस्तुत अभिलेखों के संतोषजनक होने पर निवेशक को पावती-पत्र निर्गत किया जायेगा।
- 5- **निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन**
- 5.1 परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण एवं पावती निर्गत होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा उसे नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- 5.2 ₹0 200 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और नीति कार्यान्वयन इकाई का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा।
- 5.3 ₹0 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन होंगे।
- 5.4 ₹ 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा।
- 5.5 नीति कार्यान्वयन इकाई तथा/अथवा मा. मंत्रिपरिषद, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ-साथ, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।
- 5.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियां जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सू0प्रौ० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, ३०प्र० शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठांकित की जायेंगी।
- 5.7 लेटर ऑफ कम्फर्ट में प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी, जिसकी पुष्टि, दावा की गई वास्तविक राशि तथा प्राधिकारी द्वारा राशि स्वीकृति के समय किया जायेगा।
- 5.8 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- 5.9 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली योग्य हो जायेंगे।
- 5.10 लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी होने के 6 माह के अन्दर कम्पनी द्वारा निवेश प्रारम्भ किया जाना चाहिए, यद्यपि असाधारण परिस्थितियों में नीति कार्यान्वयन इकाई/सशक्त समिति से 6 माह का एक और विस्तार का प्राविधान है। वर्णित अवधि के पश्चात, नोडल संस्था को लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने का अधिकार है।

- 6- प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया
- 6.1 आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अनुसार प्रोत्साहन दावे का उल्लेख करते हुए विधिवत भरा गया संवितरण प्रारूप (अनुलग्नक-2) नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.2 नोडल संस्था द्वारा संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) तथा आवश्यक सहायक अभिलेखों का परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टड एकाउन्टेन्ट/सूचीबद्ध वैल्यूअर से कराया जायेगा।
- 6.3 स्थिर पूँजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आगणन बैंक/वित्तीय संस्थानों अथवा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा नामित समिति अथवा इस हेतु नियुक्त वित्तीय परामर्शी/राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।
- 6.4 सं.प्रा., आवश्यक सहायक अभिलेखों तथा प्रमाणपत्र को चार्टड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित को अग्रसारित किया जायेगा:-
- (अ) रु० 200 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में सं.प्रा. को लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
- (ब) रु० 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में सं.प्रा. को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदन उपरान्त, धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
- 6.5 रु० 200 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति की संस्तुति के पश्चात मा. मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण सशक्त समिति के ही अनुमोदन के पश्चात किए जायेंगे।
- 6.6 निवेशक को समस्त भुगतान सीधे उसके खाते में ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. से किया जायेगा।
- 6.7 सभी अस्वीकृत सं.प्रा. की सूचना नोडल संस्था द्वारा, निवेशक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में दी जायेगी।
- 7- प्रोत्साहन संवितरण
- 7.1 सभी वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के पश्चात लिया जा सकेगा। चरणवार निवेश की दशा में प्रत्येक चरण के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने की तिथि को दृष्टिगत रखा जायेगा।

- 7.2 यदि इकाई अस्थायी रूप से बन्द होती है और वाणिज्यिक उत्पादन 6 माह से अधिक अवधि हेतु बन्द रहता है तो उस दौरान जबकि उत्पादन बन्द है, प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
- 7.3 वित्तीय प्रोत्साहनों का आवेदन वित्तीय वर्ष में त्रैमासिक रूप से किया जा सकता है। निवेशक द्वारा अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्टूबर-दिसम्बर, जनवरी-मार्च की अवधि हेतु आवेदन त्रैमास समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
- 7.4 अनुमोदन/अस्वीकृति/अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा। मूल्यांकन समिति तथा बैंक रिपोर्ट के मूल्यांकन के बीच दृष्टिगत किसी अन्तर के मामले में उसका उपयुक्त औचित्य, लिखित रूप में अंकित किया जायेगा।
- 7.5 पूँजी उपादान के संवितरण हेतु नोडल संस्था, स्थलीय निरीक्षण अथवा अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से निवेशक द्वारा स्थिर पूँजी निवेश के निर्धारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, एक अतिरिक्त समिति/व्यक्ति/एजेन्सी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
- 7.6 रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों को ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति, बैंक द्वारा प्रभारित कुल ब्याज दर के सापेक्ष 5 प्रतिशत बिन्दु तक की जायेगी तथा शेष ब्याज निवेशक द्वारा वहन किया जाना होगा। उदारणार्थ: यदि किसी निवेशक द्वारा बैंक को 12 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है तो नीति के अनुरूप निवेशक को निर्धारित सीमा तक 5 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शेष 7 प्रतिशत ब्याज निवेशक द्वारा बैंक को भुगतान किया जाना होगा।
- 7.7 जानबूझकर व्यतिक्रम (Default) अथवा बैंक द्वारा परिसमापन घोषित किये जाने की स्थिति में, उसके पश्चात ब्याज उपादान प्रदान नहीं किया जायेगा तथा नोडल संस्था/प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।
- 7.8 निवेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पेटेन्ट्स फाइलिंग से सम्बन्धित अभिलेख नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे। नोडल संस्था द्वारा आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि में आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा नोडल संस्था द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख आवेदक द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह उपादान इकाई को पेटेन्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।
- 7.9 ई.एम.सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधायें
- क) निवेशक द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, भारत सरकार को प्रस्तुत अन्तिम आवेदन एवं तत्सम्बन्धी पश्चात्वर्ती समस्त स्पष्टीकरण एवं संशोधनों को साझा किया जायेगा।
- ख) निवेशक द्वारा राज्य में स्थापित अपने इलेक्ट्रनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भारत सरकार से प्राप्त अन्तिम अनुमोदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

- ग) अनुमोदन में भारत सरकार के अनुदान का स्पष्ट उल्लेख हो।
- घ) निवेशक द्वारा भारत सरकार से अनुमोदन की प्रत्येक किश्त अवमुक्त होने के उपरान्त प्रादेशिक अनुदान (भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का 50 प्रतिशत) हेतु नोडल संस्था को सम्पर्क किया जायेगा।
- च) नोडल संस्था द्वारा निवेशक से भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति के साथ, अनुदान के सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र की मांग की जायेगी।
- छ) नोडल संस्था को निर्माण-स्थल के निरीक्षण की स्वतंत्रता होगी तथा निवेशक द्वारा इसका प्रबन्ध किया जायेगा।
- ज) निवेशक द्वारा की गई अनुदान की मांग के परीक्षण हेतु नोडल संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार, कोई अन्य अभिलेख भी मांगा जा सकता है।
- 7.10 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्कर्स
प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्कर्स के निवेशकों को अनुमन्य प्रोत्साहनों का संवितरण उपरोक्त प्रस्तर-7 में वर्णित प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जाएगा।
- 7.11 फैब इकाइयां
फैब इकाइयों हेतु 30प्र० इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के प्रस्तर-5.10 के अन्तर्गत सशक्त समिति एवं मा. मंत्रि परिषद के अनुमोदन से विशेष पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता होगी, एवं तदनुरूप शासनादेश निर्गत किए जाएंगे।
- 8- परिभाषायें:
- 8.1 आवेदक/कम्पनी: इस नीति के प्रयोजन हेतु आवेदक को नीति के अन्तर्गत एक परियोजना स्थापित करने हेतु भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए। इस प्रस्ताव को निर्धारित “निवेश प्रस्ताव” (NIP) प्रपत्र पर, ऐसे निवेश प्रस्तावों को सुविधा देने हेतु नीति के अन्तर्गत नामित नोडल संस्था को प्रस्तुत किया गया हो।
- 8.2 “निवेश प्रस्ताव” (NIP): निवेश प्रस्ताव का अभिप्राय है आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया गया आवेदन जिसमें आवश्यक सूचनाओं, आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) के साथ पूँजीगत व्यय, परियोजना की वित्तीय जानकारी, अनुमानित कारोबार, व्यवसाय योजना, कृषि-इक्विटी अनुपात, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा उसके सहायक अभिलेख सम्मिलित हो। निवेश प्रस्ताव में आवेदक द्वारा मांगे गये राजकोषीय तथा गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों का भी उल्लेख होना चाहिए।
- 8.3 स्थिर पूँजी निवेश: का अर्थ है, निवेश की पात्र अवधि के दौरान भवन, संयंत्र और मशीनरी, यूटीलिटीज, औजार और उपकरणों तथा अन्तिम उत्पाद (end product) के विनिर्माण हेतु आवश्यक ऐसी ही किसी भी अन्य परिसम्पत्ति में किया गया निवेश। स्थिर पूँजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूँजीगत निवेश एवं

परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं। स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगा:-

- (i.) स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।
- (ii.) इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भवन के लागत की सीमा कुल स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
- (iii.) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूँजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

8.4 अयोग्य पूँजी निवेश: निम्नलिखित को स्थिर पूँजी निवेश की गणना हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा:-

- (i.) कार्यशील पूँजी
- (ii.) साख
- (iii.) रायलटी
- (iv.) प्रारम्भिक एवं संचालन-पूर्व व्यय
- (v.) ब्याज का पूँजीकरण
- (vi.) कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, बिजली उत्पादन
- (vii.) तकनीकी-जान शुल्क/परामर्शी-शुल्क
- (viii.) कोई भी संयंत्र और मशीनरी जिसका भुगतान नकद में किया गया है।

- 8.5 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि: का अर्थ है वह तिथि जब प्रथम वाणिज्यिक बीजक निर्गत किया गया हो।
- 8.6 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.): का अर्थ है भारत सरकार की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत यथापारिभाषित क्लस्टर।
- 8.7 विद्यमान इकाई का विस्तारीकरण: का अर्थ है मौजूदा इकाई के क्षमता-वृद्धि, आधुनिकीकरण अथवा विविधीकरण के उद्देश्य से उसके संयंत्र और मशीनरी में स्थिर पूँजी निवेश के मूल्य में अभिवृद्धि। विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण हेतु नीति के अन्तर्गत कोई प्रोत्साहन नहीं प्रदान किया जायेगा।
- 8.8 वित्तीय वर्ष: का अभिप्राय है कि वित्तीय वर्ष, कैलेण्डर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।
- 8.9 नोडल संस्था: का अर्थ है यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। नोडल संस्था का पता प्रथम तल, नवचेतना केन्द्र, 10-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 है।

- 8.10 **पावती-पत्र निर्गमन तिथि:** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा पावती क्रमांक जारी किया गया हो। तथापि सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना की स्वीकृति, तथा पुनः लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत होने पर ही यह तिथि प्रभावी है।
- 8.11 **परियोजना स्वीकृति तिथि:** का अभिप्राय है वह तिथि जब नोडल संस्था द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) जारी किया गया हो।
- 8.12 **चरण-वार निवेश:** चरण-वार निवेश को निम्नलिखित दो श्रेणियों में श्रेणीबद्ध, किया गया है:-
- 8.12.1 **विभिन्न चरण-युक्त परियोजनाओं में,** किसी भी ऐसे चरण की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसमें निवेश नीति की वैधता-तिथि के पश्चात आरम्भ किया जाना है। अन्तिम चरण में निवेश नीति की वैधता समाप्त होने से पूर्व आरम्भ हो जाना चाहिए।
- 8.12.2 **ऐसे मामलों में जहां किसी चरण का वाणिज्यिक उत्पादन नीति की वैधता-तिथि के पश्चात सम्भावित है तो आवेदक द्वारा एक संशोधित लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) प्राप्त किया जाना होगा।**
- 8.13 **लेटर ऑफ कम्फर्ट:** लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) का अभिप्राय है सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की परियोजना पर स्वीकृति के उपरान्त नोडल संस्था द्वारा जारी किया गया आदेश-पत्रक। लेटर ऑफ कम्फर्ट में स्थिर पूंजी निवेश (FCI), भूमि, रोजगार तथा परियोजना के अन्य विवरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के साथ-साथ आवश्यक नियम तथा शर्तों का उल्लेख सम्मिलित होगा।
- 8.14 **सक्षम प्राधिकारी:** सक्षम प्राधिकारी का अभिप्राय है राज्य सरकार का निर्णय लेने वाला निकाय, जिसके द्वारा आवेदक की परियोजना को स्वीकृति दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के लिए अधिकार निम्नानुसार वर्गीकृत है:-
- 8.14.1 **रु 200 करोड़ अथवा उससे कम निवेश:** ऐसे मामलों के लिए अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सक्षम प्राधिकारी है।
- 8.14.2 **रु 200 करोड़ से ऊपर निवेश:** ऐसे मामलों के लिए माननीय राज्य मॉनिपरिषद सक्षम प्राधिकारी है, जिसके द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई एवं तत्पश्चात सशक्त समिति की संस्तुति के आधार पर परियोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- 8.15 **फैब (FAB) इकाई:** फैब इकाई, सेमीकण्डक्टर फैब्रिकेशन प्लाण्ट है जहां एकीकृत सर्किट (IC) चिप्स जैसी डिवाइसेज का निर्माण किया जाता है।
- 8.16 **बैंक/वित्तीय संस्थान:** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और अनुमोदित सभी अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थानों को स्वीकार किया जायेगा।
- 9- **न्यायालय का क्षेत्राधिकार**
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

10- व्यय भार

वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

11- प्रोत्साहनों के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

कृपया उपरोक्त के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(आलोक कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-1901(1)/78-1-2020 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0।
- 3 अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, 30प्र0 शासन।
- 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 9 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 10 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, 30प्र0 शासन।
- 11 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, 30प्र0 शासन।
- 12 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, 30प्र0 शासन।
- 13 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग।
- 14- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 15 समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।

- 16- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, ३०प्र० शासन।
- 17 कार्यकारी निदेशक, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
- 18 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०, श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
- 19 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

bala
(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

31/03/2021 -]

On Company's Letter Head

Date: .../.../2020

Managing Director
U.P. Electronics Corporation
Limited 10, Ashok Marg,
Lucknow-226 001 (INDIA)

Subject: Application for project approval under UP Electronics Manufacturing Policy 2020

Dear Sir,

This is in reference to the establishment of our proposed investment atUttar Pradesh for the purpose of Electronic Manufacturing (manufacturing ofproducts). We would like to submit herein our request for approval under Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2020 for investment value worth INRCrore to be invested fromDDMMYYYY toDDMMYYYY.....

We are looking forward to government support for approval and disbursement of eligible incentives under the policy.

The highlights of the project are as follows:

- I. **Location of the project:**
- II. **Investment:** INR ... Cr (Total)
 - **Phase 1** – INR ...Cr, Year – From..... to.....
 - **Phase 2** – INRCr, Year – From..... to..... (If applicable)
 - **Phase 3** – INRCr, Year – From..... to..... (If applicable)
- III. **Employment Generation:** Total -, (Direct & Indirect)
- IV. **Land requirement:** Acres (Total)
 - **Phase 1** – Acres
 - **Phase 2** –Acres (If applicable)
 - **Phase 3** –Acres(If applicable)
- V. **Capacity:**
- VI. **Fiscal Incentives Sought:** INR Cr.....
- VII. **Power Requirement:**
- VIII. **Water Requirements:**

We request the state Govt. support for the following incentives summarized below:

S.No.	Subsidy	Details of Incentive	INR (Crores)
1.	Capital Subsidy		
2.	Stamp duty		
3.	Interest Subsidy		
4	Patent Cost Reimbursement		
5	Electricity Duty Exemption		
Total			

We confirm that the above information furnished is correct to the best of our knowledge and in case of any deviation we'll bring it to the notice of the IT & Electronics Department, GoUP immediately.

We confirm that we shall be binding with the Government Orders released under the UP Electronics Manufacturing Policy 2020 from time to time and shall abide by it.

We understand that the above incentives sought are subject to the approval of the State Government and decisions in this regard shall be final and binding.

Thanking you,

.....
Authorized
Signatory Name:
Company Seal:

Enclosed: Annexure Initial Investment Proposal Form

INITIAL INVESTMENT PROPOSAL FORM

S. No.	Particulars	Details Required
Company Profile		
1.	Company Name	
2.	Origin Country	
3.	Brief profile of the company	
4.	Date of Incorporation	
5.	Shareholding pattern	
6.	Name of Directors	
7.	Details of Executive Management	
8.	Number of manufacturing units in India	
9.	Details of unit in Uttar Pradesh, if any	
Financial Status		
10.	Latest turnover of India business	
11.	Turnover for last 5 years	
12.	Net Profit for last 5 years	
13.	Growth Rate in last 5 years	
Project Brief		
14.	Brief about Project	
15.	Type of Project (New/Expansion/Diversification)	
16.	Investment Value (INR Crore)	
17.	Source of funding	
18.	Expected Employment Generation <i>(Please provide direct and indirect employment numbers separately)</i>	
19.	Number of phases <i>(please provide phase wise breakup of investment value)</i>	
20.	Project Location	
21.	Land Requirement <i>(Please provide phase wise breakup in acres)</i>	
22.	Estimated Production Capacity	
23.	Details of products to be manufactured	
24.	Expected Turnover (for First 10 Years)	
Demand from government of UP		
25.	Financial incentives sought under EMP 2020	

26.	Non-financial incentives sought under EMP 2020	
27.	Core infra requirement (Water, Electricity etc.)	
28.	Land Required (If Yes, please provide land details including area, authority, and cost)	
i)	25% Subsidy for land in Madhyanchal and Paschimanchal Region (Please indicate subsidy amount)	
ii)	50% Subsidy for land in Bundelkhand and Purvanchal Region (Please indicate subsidy amount)	
29	Any other assistance required	

Supporting Documents Required

30	<p>Detailed Project Report: Please provide copy of the DPR including but not limited to proposed Investment value, land requirement, revenue projection, proposed products, project implementation schedule, future expansion plan, employment generation etc.</p> <p>Additional Documents Required (Attested by Authorized Signatory):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificate of Incorporation ▪ Financials of the company (Audit report, balance sheet etc.) (if applicable) ▪ Loan Sanction Letter (If applicable) ▪ FDI Acknowledgment from RBI (If applicable) ▪ Sale/lease deed ▪ Land allotment letter (If applicable) ▪ For rented premises, pre and post evaluation of the building by CA. ▪ Memorandum of Association (MoA) (if applicable) and Article of Association (AoA) 	
----	--	--

Signature of Authorized Director

Name

Contact No.

Email Id

Company Address

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण-पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
10—अशोक मार्ग, लखनऊ

विषय: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग

महोदय,

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतदद्वारा अपना आवेदन-पत्र {संलग्नक-1(पैर्जी उपादान हेतु) / संलग्नक-2(ब्याज उपादान हेतु) / संलग्नक-3(पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति हेतु)} संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की माँग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे संनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ आवेदन-पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समर्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सही हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की माँग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

पूँजी उपादान के संवितरण हेतु आवदेन—पत्र

(क)	इकाई का विवरण	
a.)	नाम	
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझेदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	
c.)	इकाई का पता	
d.)	दूरभाष नं०	
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॉ०	
f.)	फैक्स नॉ०	
g.)	ई-मेल	
h.)	वेबसाइट	
i.)	पंजीयन प्रमाण—पत्र संख्या	
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०	
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं० (PAN)	
l.)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली <input type="checkbox"/> साझेदारी <input type="checkbox"/> प्राइवेट लिमिटेड <input type="checkbox"/> सहकारी <input type="checkbox"/> सार्वजनिक <input type="checkbox"/> समिति <input type="checkbox"/>
m.)	व्यवसाय / परिचालन आरम्भ की तिथि	
n.)	इकाई के व्यवसाय एवं विनिर्माण की प्रकृति, प्रस्तावित उत्पादों, स्थापित निर्माण क्षमता तथा विस्तारित निर्माण क्षमता (यदि कोई हो) का विवरण	
o.)	आवेदक के विगत तीन वर्षों का वार्षिक व्यवसाय (टर्न—ओवर)	
p.)	विगत तीन—वर्षों में कराधान के उपरान्त लाभ का विवरण	
q.)	भूमि का विवरण (अ) आवेदक का स्थल (ब) साइट रेडीनेस (स) भूमि का क्षेत्रफल (द) भूमि क्रय की गई/पट्टे की है (य) भूमि का मूल्य / प्रीमियम	
r.)	सृजित / सम्भावित रोजगार (अ) प्रबन्धकीय (ब) पर्यवेक्षक (स) कुशल (द) अकुशल	
(ख)	वित्त पोषण का विवरण	
	a.) प्रोमोटर्स / साझेदारों / अंशधारकों के अंशक (ईविपटी)	
	b.) सावधि ऋण (टर्म—लोन)	

	c.) किराया—क्य (हायर—परचेज)	
d.) लीजिंग		
e.) सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू)		
f.) अधिभान निर्गम (प्रफरेन्स इश्यू)		
g.) अन्य		
(ग) सावधि ऋण (टर्म लोन) का विवरण		
a.) बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं.		
b.) स्वीकृत ऋण धनराशि		
c.) ऋण स्वीकृति आदेश एवं तिथि		
d.) वितरित ऋण राशि		
e.) ऋण वितरण की तिथि		
f.) ऋण की प्रकृति		
g.) ब्याज की दर		
h.) स्थिर पूँजी निवशन		
(1) भूमि		
(2) भवन		
(3) प्लाण्ट एवं मशीनरी		
(अ) नए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण		
(ब) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण		
(4) अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ		
(5) अन्य		
	योग	
i.) दावा की गई पूँजी उपादान धनराशि		
(घ) आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज		
a.) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण—पत्र (परिशिष्ट-1 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
b.) वर्ष के दौरान दाखिल वाणिज्य—कर विवरणी की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
c.) पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
d.) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण—पत्र की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
e.) PAN CARD की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
f.) विद्यमान क्षमता हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / सांविधिक सम्परीक्षक का प्रमाण—पत्र	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
g.) वित्तीय सहायता हेतु बैंक / वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
h.) बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण का विवरण, देय ब्याज की दर,	हॉ	<input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

	देय ब्याज की धनराशि तथा आवेदक इकाई/कम्पनी द्वारा अदा किये गये ब्याज की धनराशि तथा बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख / प्रमाण—पत्र			
i.)	नीति घोषित किये जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाष्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख / प्रमाण—पत्र	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
j.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण—पत्र सहित, आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति—2020 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन / छूट का, अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि
k.)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त/इकाई द्वारा ली गई एम—सिप्स, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लर्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्कर्स अथवा एकल ई.एस.डी.एम. इकाई से सम्बन्धित किसी अन्य छूट का विवरण			
l.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)			
m.)	आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ—पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट—5 प्रारूप पर)			

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

पूँजी उपादान की प्राप्ति हेतु
 संयन्त्र एवं मशीनों पर निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र
 (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतदद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के
 पंजीकृत कार्यालय तथा फैकट्री पर
 उपलब्ध लेखा पुस्तकों के अनुसार, पूँजी उपादान प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति
 के दिनांक को, भूमि को छोड़कर कुल स्थिर पूँजी निवेश रु (रूपये
) था। पुनः सत्यापित किया जाता है कि स्थिर पूँजी निवेश के अन्तागत
 नए संयन्त्र, मशीनरी और उपकरणों के मूल्य रु तथा पुनर्निर्मित
 (Refurbished) संयन्त्र, मशीनरी और उपकरणों के मूल्य रु को सम्मिलित
 किया गया है।

रथान
तिथि

हस्ताक्षर एवं मुहर

ब्याज उपादान के संवितरण हेतु आवदेन-पत्र

(क)	इकाई का विवरण						
a.)	नाम						
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम						
c.)	इकाई का पता						
d.)	दूरभाष नं०						
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०						
f.)	फैक्स नै०						
g.)	ई-मेल						
h.)	वेबसाइट						
i.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या						
j.)	जी.एस.टी. पंजीयन सं०						
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं० (PAN)						
l.)	संगठन का संविधान			स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड	<input type="checkbox"/>	साझेदारी सहकारी	<input type="checkbox"/>
				सार्वजनिक	<input type="checkbox"/>	समिति	<input type="checkbox"/>
m.)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि						
(ख)	इकाई द्वारा प्राप्त किये गये ऋण का विवरण						
a.)	बैंक / वित्तीय संस्थान का नाम, पता व दूरभाष सं. ई-मेल						
b.)	ऋण की धनराशि						
c.)	ऋण वितरण की तिथि						
d.)	ऋण की प्रकृति						
e.)	ब्याज की प्रकृति			सावधि ऋण	<input type="checkbox"/>	कार्यशील पैंजी ऋण	<input type="checkbox"/>
f.)	ऋण पर देय ब्याज, एवं पूर्व वर्षों में प्राप्त ब्याज उपादान का विवरण			स्थिर (Fixed)	<input type="checkbox"/>	अस्थिर (Floating)	<input type="checkbox"/>
	वर्ष	वित्तीय वर्ष	देय ब्याज (%)	कुल देय ब्याज धनराशि (रुपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में दाता की गई ब्याज उपादान की राशि (रुपये)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में स्त्रीकृत ब्याज उपादान की राशि (रुपये)	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
(ग)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख						
a.)	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-2 प्रारूप पर) सहित, प्रथम विक्रय बीजक (First Sales Invoice) की प्रति			हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>

b.)	वर्ष के दौरान दाखिल नवीनतम जी.एस.टी. विवरणी की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
c.)	पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
d.)	जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
e.)	PAN CARD की प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
f.)	वित्तीय सहायता हेतु बैंक/वित्तीय संस्था को प्रस्तुत व उनके द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
g.)	नीति घोषित किये जाने जाने के पश्चात एवं आवेदन की तिथि तक प्लाण्ट और मशीनरी की स्थापना पर जो निवेश किया गया है, उसका मदवार विवरण व उसकी पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण-पत्र	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
h.)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.)	बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण व बैंक/वित्तीय संस्था से उसकी पुष्टि सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण-पत्र	हॉ	<input type="checkbox"/>	नहीं	<input type="checkbox"/>
j.)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये अन्य प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	<input type="checkbox"/>	तिथि	धनराशि
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k.)	भारत सरकार द्वारा प्रदत्त/इकाई द्वारा ली गई एम-सिप्स, इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स अथवा एकल ई.एस.डी.एम. इकाई से सम्बन्धित किसी अन्य छूट का विवरण				
l.)	आवेदक के बैंक खाते का विवरण जिसमें अनुमोदन की स्थिति में उपादान की धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी (बैंक का नाम, खाता नं. तथा आई.एफ.एस.सी. कोड)				

m.)	आवेदक इकाई के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-5 प्रारूप पर)	
-----	--	--

स्थान
तिथि

स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के
हस्ताक्षर एवं मुहर

बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण स्वीकृत होने व देय ब्याज की दर तथा कम्पनी/इकाई द्वारा देय
एवं भुगतान की गई ब्याज धनराशि का विवरण

(बैंक / वित्तीय संस्था के लेटरहेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतदद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के पैंजीकृत
कार्यालय तथा फैक्ट्री द्वारा ..
.....(बैंक / वित्तीय संस्था का नाम) से सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त
किया गया है, जिससे सम्बन्धित प्रमुख विवरण निम्नवत् है:-

1	स्वीकृत ऋण की धनराशि	: रु
2	स्वीकृत ऋण के विरुद्ध प्रथम वितरित किश्त की धनराशि	: रु
3	प्रथम किश्त के वितरण की तिथि	:
4	ऋण की प्रकृति	: सावधि ऋण / कार्यशील पूँजी ऋण
5	ब्याज की प्रकृति	: स्थिर (Fixed) / अस्थिर (Floating)
6	ऋणी द्वारा ऋण पर देय ब्याज की दर	: प्रतिशत वार्षिक
7	वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा कुल अदा की गई मूल धनराशि	: रु
8	वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल देय ब्याज की धनराशि	: रु
9	वित्तीय वर्ष में ऋणी द्वारा ऋण पर कुल अदा की गई ब्याज की धनराशि	: रु

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सर्वश्री इस बैंक /
संस्था द्वारा डिफाल्टर घोषित नहीं की गई है।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर एवं मुहर

**उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत पेटेन्ट्स फाइलिंग शालुक
प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र**

1	इकाई का विवरण			
(क)	नाम			
(ख)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम			
(ग)	इकाई का पता			
(घ)	दूरभाष नं०			
(च)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नं०			
(छ)	फैक्स नं०			
(ज)	ई-मेल			
(झ)	वेबसाइट			
(ट)	पंजीयन प्रमाण-पत्र संख्या			
(ठ)	वस्तु एवं सेवाकर पंजीयन सं०			
(ड)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं० (चाह)			
(ढ)	संगठन का संविधान	स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड सार्वजनिक	<input type="checkbox"/>	साझेदारी सहकारी
			<input type="checkbox"/>	समिति
(त)	कर्मचारियों की संख्या			
(थ)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि			
(द)	कार्य क्षेत्र			
(ध)	उत्पाद / निर्मित उत्पाद			
2	दृंगी निवेश (रूपये लाख में) (जहाँ लागू हो)			
(क)	संयन्त्र एवं मशीनें			
(ख)	भूमि-भवन			
	योग			
3	पिछले तीन वर्षों में उत्पादन (रु लाख में)			
(क)				
(ख)				
(ग)				

4	पिछले तीन वर्षों में निर्यात (रु लाख में)
(क)	
(ख)	
(ग)	पेटेन्ट पंजीयन का विवरण
5	आविष्कार की संज्ञा
(क)	आविष्कार के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी
(ख)	आविष्कार का कार्य-क्षेत्र/व्यापकता/ विषय-क्षेत्र
(ग)	पेटेन्ट पंजीयन हेतु आवेदन की तिथि
(घ)	पेटेन्ट पंजीयन पद्र अन करने वाली संस्था का नाम, पता व दूरभाष सं/ ई-मेल
(च)	पेटेन्ट पंजीयन क्रमांक एवं पेटेन्ट प्रदान किये जाने की तिथि
(छ)	आविष्कार के लाभ
(झ)	पेटेन्ट पंजीयन की कुल लागत
(झ)	योजना के अन्तर्गत आवेदित प्रेत्साहन राशि
(ट)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख
6	पेटेन्ट कायार्ड य द्वारा पद्र त्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
(क)	स्वच्छ सूचकों (label) के साथ विशिष्टियाँ (specifications) / विन्यास (drawing) / चित्र (design)
(ख)	ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हों तो)
(ग)	पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित) (परिशिष्ट-3 प्रारूप पर)
(घ)	संयंत्र एवं मशीनों पर निवेश के प्रमाण- स्वरूप चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-4 प्रारूप पर)
(च)	आवेदक इकाई के स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का शपथ-पत्र (मूल रूप में परिशिष्ट-5 प्रारूप पर)

(ट)	आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति-2020 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/छूट का अद्यतन विवरण	प्रोत्साहन/छूट की प्रकृति	तिथि	धनराशि

स्थान:

तिथि:

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के हस्ताक्षर

एवं मुहर

पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण

आवेदक – सर्वश्री के पंजीकृत कार्यालय
..... तथा कार्यस्थल पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के अनुसार
आवेदक द्वारा उसके आविष्कार के लिए प्रमाणन-अभिकरण/संस्था से पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की
प्राप्ति के सम्बन्ध में कुल धनराशि रु (रूपये) मात्र का
व्यय हम्मा है। उक्त व्ययों का मदवार विवरण निम्नवत् हैः-

क्रम संख्या	व्यय का विवरण	प्रमाणन-अभिकरण/संस्था	धनराशि (रु)'	अन्युक्ति
1	पेटेन्ट कार्यालय शुल्क आवेदन शुल्क (भारत/ विदेश) प्रायर आर्ट सर्च शुल्क परीक्षा हेतु अनुरोध शुल्क वार्षिक शुल्क			
2	अटार्नी ड्राफिटिंग शुल्क			
3	परामर्श शुल्क			
योग				

स्थान:

स्वामी/ साझेदार/ प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक के हस्ताक्षर

तिथि:

एवं मुहर

'पेटेन्ट पंजीयन से सम्बन्धित व्ययों के उक्त विवरण इनवॉयस और रसीदों की सत्यापित प्रति से
समर्थित होने आवश्यक हैं।

सैयन्त्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर एवं अन्य निवेश के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लेटर हेड पर)

संख्या:

दिनांक :

जिससे भी सम्बन्धित हो

एतद्वारा सत्यापित किया जाता है कि सर्वश्री के पैंजीकृत कार्यालय ..
..... तथा कार्यस्थल पर उपलब्ध
लेखा पुस्तकों के अनुसार, पेटेन्ट्स फाइलिंग शुल्क प्रोत्साहन की प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुति के
दिनांक अर्थात् उससे पिछली 31 मार्च की तिथि को सैयन्त्र/उपकरणों/साफ्टवेयर एवं अन्य
निवेश पर (उनके मूल क्य-मूल्य के अनुसार) कुल निवेश रु (रूपये
.....) था।

स्थानः

तिथिः

हस्ताक्षर एवं मुहर

सभी प्रकार के प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु वचन—पत्र
 मैं(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री
 निवासी — एतद्वारा निम्नवत् वचन देता हूँ:-

- 1 यह कि अधोहस्ताक्षरी—प्रार्थी सर्वश्री (नाम) जिसका
 पैजीकृत कार्यालय (पता) एवं फैक्ट्री
 (पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक* है।
- 2 यह कि सर्वश्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की
 इलेक्ट्रानिक्स निर्माण नीति-2020 में विहित व्यवस्थानुसार, पूँजी उपादान/ब्याज
 उपादान/पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
- 3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/
 कम्पनी/प्रतिष्ठान* — सर्वश्री एक पूरक/
 सूक्ष्म/लघु*उद्यम है तथा पूँजी उपादान/ब्याज उपादान/पेटेन्ट्स लागत की
 प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/उत्पादनरत* थी तथा फर्म/
 कम्पनी/प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/उत्पादनरत* रही है।
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
 वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत पूँजी उपादान/ब्याज
 उपादान/पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।
 अथवा
- 4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
 वित्तीय संस्थान* को पूँजी उपादान/ब्याज उपादान/पेटेन्ट्स लागत की
 प्रतिपूर्ति* के लिए दावा किया गया था और रु (रुपये
)(बैंक) के चेक/ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से
 पूँजी उपादान/ब्याज उपादान/पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति* के रूप में प्राप्त
 किया गया है।
- 5 यह कि यदि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* को पूँजी उपादान/ब्याज
 उपादान/पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो इस तथ्य की उद्घोषणा
 मैं आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/
 वित्तीय संस्थान* इत्यादि द्वारा संचालित इसी प्रकार की किसी अन्य योजना के
 अन्तर्गत प्रोत्साहन/अनुदान/उपादान/प्रतिपूर्ति का दावा करते समय करूँगा।
- 6 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से
 वचन देता है कि उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि
 का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर
 पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की
 वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू-राजस्व की भाँति कर ले।